न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 177/2017 दायर दिनाँक **04.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र डूंगाराम जाति मेघवाल निवासी दौलतपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजेन्द्र पुत्र स्व0 हीराराम 2. केशर पत्नी स्व0 हीराराम 3. दुर्गा पुत्र स्व0 हीराराम 4. संजू पुत्री स्व0 हीराराम 5. पन्नी देवी पुत्री स्व0 डूंगाराम जाति मेघवाल निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 6. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा वकील, वादी।
2. श्री विरेन्द्रसिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का खसरा सं0 95 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम तथा खसरा सं0 104 39 बीघा 04 बिस्वा बारानी प्रथम कुल खसरा दो कुल रकबा 43 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद दौलतपुरा में अवस्थित हैं जिसके रिकार्डेड खातेदार वादी एवं प्रतिवादीगण है।

खसरा सं0 95 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम तथा खसरा सं0 104 39 बीघा 04 बिस्वा बारानी प्रथम कुल खसरा दो कुल रकबा 43 बीघा 06 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 01 ता 04 का 1/2 हिस्सा अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त व अविभाजित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 177/2017
दायर दिनाँक 04.07.2017, निर्णय दिनाँक 24.04.2018
रामेश्वरलाल बनाम राजेन्द्र वगैरा।

वादी एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को वर्षो पूर्व ही अपने अपने हिस्से बंटवारा कर कृषि काश्त करते आ रहे है। वादी का 1/2 हिस्सा खसरा सं0 104 में से 21 बीघा 13 बिस्वा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा की भूमि कब्जे काश्त की है इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के शेष सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अर्थात खसरा सं0 95 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा तथा खसरा संख्या 104 में से रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा उत्तरी हिस्सा कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा बंट में है। प्रतिवादी सं0 03 व 04 उक्त भूमि में अपना कोई हिस्सा लेना नहीं चाहती है। इसलिए उक्त हिस्से में आई में से प्रतिवादी सं0 03 दुर्गा तथा प्रतिवादी सं0 04 संजु का नाम खातेदारी से हटाया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 05 वादी की बहन है जिसका नाम खातेदारी से हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी सं0 05 पन्नीदेवी उक्त खातेदारी में अपना कोई हिस्सा लेना नहीं चाहती है। उक्त कृषि भूमि में स्व0 माली बेवा डूंगाराम का देहान्त हो चुका है।

बिनाय दावा अर्सा करीब पांच रोज पूर्व न्यायालय में चलकर बंटवारा करने का मना करने पर व वादी के हिस्से की भूमि दीगर लोगों को कब्जा कराने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद दौलतपुरा के खसरा सं0 95 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी सं0 01 व 02 के बंट में तथा खसरा सं0 104 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा में से 17 बीघा 11 बिस्वा उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 व 02 के बंट व कब्जे काश्त में रहेगा एवं खसरा सं0 104 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा में से 21 बीघा 13 बिस्वा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा वादी के बंट में रहेगा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06, 07 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री पूरणसिंह बोहरा ने की व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 177/2017
दायर दिनाँक 04.07.2017, निर्णय दिनाँक 24.04.2018
रामेश्वरलाल बनाम राजेन्द्र वगैरा।

प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद दौलतपुरा के खसरा सं0 104 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा में से 21 बीघा 13 बिस्वा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा वादी रामेश्वरलाल के बंट में तथा खसरा सं0 95 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 104 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा में से 17 बीघा 11 बिस्वा उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 व 02 राजेन्द्र व केशर के बंट में घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **24.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **177/2017** दायर दिनाँक **04.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र डूंगाराम जाति मेघवाल निवासी दौलतपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजेन्द्र पुत्र स्व0 हीराराम 2. केशर पत्नी स्व0 हीराराम 3. दुर्गा पुत्र स्व0 हीराराम 4. संजू पुत्री स्व0 हीराराम 5. पन्नी देवी पुत्री स्व0 डूंगाराम जाति मेघवाल निवासीगण दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 6. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **24.04.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी व श्री विरेन्द्र सिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद दौलतपुरा के खसरा सं0 104 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा में से 21 बीघा 13 बिस्वा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा वादी रामेश्वरलाल के बंट में तथा खसरा सं0 95 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 104 रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा में से 17 बीघा 11 बिस्वा उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 व 02 राजेन्द्र व केशर के बंट में घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.04.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

स. सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner